कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं0-0591-2450066)

पत्रांक - 2919 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, ~~अक्टूबर~~ अप्रैल 26 2015.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः- मुरादाबाद में अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड (एन0एच0-93) कि0मी0 205 से 232 तक दोलेन चौड़ीकरण हेतु 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 93 वृक्षों व 361 पौधों कुल 454 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-946/7444-यू0पी0-014/2015, दिनांक 26-10-2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबादद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के कि0मी0 205.000 से 232.000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु क्षेत्रफल 14.4852 है0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र में उल्लिखित कतिपय बिन्दु सं0-1 से 10 तक आपत्तियॉ की गयी थी, जिनका निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की चार प्रतियॉ मूल में आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

<u>संलग्नक-प्रस्ताव की 4 प्रतियॉ मूल में।</u>

भवदीय,

(डा0 बी0सी0 ब्रहमा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ए-54, आशियाना फेस-1 (निकट ज्ञापक मन्दिर) कॉठ रोड, मुरादाबादको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0सी0 ब्रहमा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।